

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 16/2021

रामजीलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा दौसा राज0

...अपीलांत

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा



...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 17.3.2021 जो मुकदमा नंबर 43/2020 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित किया गया है।

उपस्थित: 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांत पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 26.5.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 17.03.2021 को ग्राम प्रेमपुरा तहसील दौसा के आ0ख0 न0 924 रकबा 0.03 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का भांकरी ने अपीलांत के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर अपीलांत का मकान 50 वर्ष से अधिक समय से बना होने के बावजूद झूठे आधारों पर नया अतिक्रमण बताकर और रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांत ने ग्राम प्रेमपुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 924 रकबा 0.03 है0 पर पुख्ता मकान बाडा व बाथरूम बनाकर कब्जा किया है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस दिया गया। जवाब नोटिस में स्पष्ट बताया है कि अपीलांत का खसरा नंबर 924 गाम प्रेमपुरा में पुख्ता मकान 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपने पिता के समय से बना हुआ है। वर्तमान खसरा नंबर 924 के सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 197/1 थे। उक्त खसरा नंबर 197/1 में से 16 बिस्वा भूमि आबादी में सन 1975 में परिवर्तित होकर नामांतरण संख्या 131 तस्दीक होकर उक्त आबादी भूमि में परिवर्तित हुई है। आबादी में परिवर्तित होकर उक्त 16 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 924 बने हुए संपूर्ण रकबे पर आबादी बसी हुई है व मकानात बने हुए हैं तथा रहवास कर रहे हैं। अपीलांत का उक्त मकान आबादी में बना हुआ है जो 25 वर्ष से अधिक समय से बने हुए है जिसका प्रमाण यह है कि साबिक खसरा नंबर 197/1 में से 1 बीघा भूमि आबादी है जिसका अंकन खसरा परिवर्तनशील संवत 2028 से 2031 में हो रहा है जिसमें प्रभात्या, मूल्या, भगवान्या, सांवल्या, गेन्दा, छाज्या पुत्रान महादेवा की आबादी अंकित है। उक्त लोग अपीलांत के बुजुर्ग हैं तथा उनको ग्राम पंचायत द्वारा पन्ना दे रखे हैं। उक्त आशय का अपीलांत ने जवाब पेश किया गया। जवाब पेश करने के दिनांक 9.2.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना तथा अपीलांत द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अध्ययन

किये बिना उक्त दस्तावेजों का अपने निर्णय में हवाला दिये बिना दिनांक 17.3.2021 को बहस सुने बिना अपीलांत को बेदखल करने एवं 14 रु० की शास्ति के दंड से दंडित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के अधिवक्ता को सुने बिना व अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को बिना देखे व निर्णय में प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत का जहां मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि है एवं उक्त मकान भी 50 वर्ष से अधिक समय का बना हुआ है और अपीलांत के मकान के पास आबादी बसी हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार किये निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांत फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का भांकरी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक भांकरी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक भांकरी की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत् 2077 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 924 रकबा 0.03 है० पर मकान बनाकर कब्जा किया जाना अंकित है। उक्त अतिक्रमण पटवारी हल्का द्वारा नया अतिक्रमण रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही खसरा नंबर 924 का रकबा 1.85 है० है जिसमें से मात्र 16 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तित हुई है। अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुए हैं। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांत के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का निर्णय में हवाला अंकित नहीं किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "मकान बनाकर कब्जा" अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट की कैफियत में नया अतिक्रमण होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर नया अतिक्रमण किया गया है। अपीलांत का यह कथन कतई उचित नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत भूमि आबादी में परिवर्तित भूमि है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना अधिकार के अतिक्रमण कर मकान बनाकर कब्जा किया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

